संख्या-07/2017-459 ई-2/तेरह-2017-101/2015

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

महोदय,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 16 मार्च,2017

विषय:-वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक का कार्यकाल बढाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-238/दस-लाइसेंस-294/होलोग्राम आपूर्ति/यूफ्लैक्स लि0/2015-16, दिनांक 01 मार्च,2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 01 मार्च,2017 में किये गये अनुरोध एवं प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-843 ई-2/तेरह-2013-233/2000, दि0 15-5-2013, शासनादेश संख्या-35/2016/1236 ई-2/तेरह-2016-101/2015टी0सी0, दि0 15-6-2016, शासनादेश संख्या-56/2016/2041 ई-2/तेरह-2016-101/2015टी0सी0, दि0 16 सितम्बर,2016 तथा शासनादेश संख्या-80/2016/2647ई-2/तेरह-2016-101/2015टी0सी0, दि0 16 दिसम्बर,2016 के क्रम में सुरक्षा होलोग्राम की आपूर्ति सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु राजस्वहित में वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक मेसर्स यूफ्लैक्स लि0, ए-1, सेक्टर-60, नोएडा, गौतमबुद्धनगर का कार्यकाल टेण्डर एवं अनुबंध पत्र में निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं दरों पर दि0 17-03-2017 से आगामी एक माह अर्थात् दिनांक 16-04-2017 तक अथवा नये होलोग्राम आपूर्तक के साथ संविदा सम्पन्न/हस्ताक्षरित होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, बढाये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( विनोद कुमार तिवारी )
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।